11
डी0बी0टी0 / पी0एफ0एम0एस0

विषय सूची			
क्रं.सं.	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	राज्य में प्रत्यक्ष लाभान्तरण योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।	सं0 695 / XXVII(1) / 2017 दिनांक : 19 जुलाई, 2017	489—491
2	पी0एफ0एम0एस0 लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	सं0 1024 / XXVii(1) / 2016 दिनांक : 06 सितम्बर, 2016	492—494
3	स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (SPUM)के गठन के सम्बन्ध में।	सं0 997 / 29(150) / XXVII(1) / 2016 दिनांक : 01 सितम्बर, 2016	495
4	पी0एफ0एम0एस0 के प्रभावी क्रियावयन हेतु राज्य सलाहकार समूह के गठन के सम्बन्ध में	सं0 996 / 29(150) / XXVII(1) / 2016 दिनांक : 01 सितम्बर, 2016	496—497
5	पी0एफ0एम0एस0 हेतु डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (DPMU)की स्थापना के सम्बन्ध में।	सं0 987 / XXVII(1) / 2016 दिनांक : 30 अगस्त, 2016	498—499
6	डी0बी0टी0 सलाहकार बोर्ड एवं डी0बी0टी0 सेल के सम्बन्ध में।	सं0 929 / 29(150) / XXVII(1) / 2016 दिनांक : 12 अगस्त, 2016	500—501

(189)

संख्या– 695/XXVII(1)/2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

विभागाध्यक्ष,
कृषि, ग्राम्य विकास, समाज कल्याण, उच्च शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा,
वन, खाद्य एवं आपूर्ति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पशुपालन, आयुर्वेद,
मत्स्य पालन, अल्पसंख्यक कल्याण, पंचायती राज, शहरी विकास, युवा कल्याण, खेल,
बाल विकास (आई0सी0डी0एस0), श्रम एवं रोजगार,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून, दिनांकः 19 जुलाई, 2017

विषयः– राज्य में प्रत्यक्ष लाभान्तरण योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार के डी0बी0टी0 मिशन द्वारा डी0बी0टी0 पोर्टल **www.dbtbharat.gov.in** बनाया गया है, जिस पर प्रतिमाह राज्य में संचालित डी0बी0टी0 योजनाओं की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अपलोड किया जाना अपेक्षित है। राज्य में प्रत्यक्ष लाभान्तरण योजना के सुचारू संचालन के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डी0बी0टी0 योजना से सम्बन्धित विभाग निम्नानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें :–

1. सभी विभागाध्यक्ष डी0बी0टी0 हेतु नोडल अधिकारी को नामित करने एवं Technical Cell का गठन करते हुए इसकी सूचना तत्काल श्री मनमोहन मैनाली, वरिष्ठ वित्त अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।
2. भारत सरकार द्वारा कुल 528 CS एवं CSS Scheme चिन्हित हुई है जिनमें डी0बी0टी0 (Cash & Kind) होती है। इनमें वर्तमान में 299 योजनायें onboarded है। सम्बन्धित विभाग इस सूची में से राज्य में चल रही योजनाओं को संलग्न प्रारूप में अंकित कर दिनांक 21.07.2017 तक श्री मनमोहन मैनाली को ई–मेल आई0डी–**manmohan mainalimm@gmail.com** पर प्रेषित करें।
3. डी0बी0टी0 हेतु लाभार्थियों का Digitized Data-base बनाना आवश्यक है। Data-base बनाते समय सम्बन्धित लाभार्थी का मोबाइल नम्बर, आधार एवं बैक खाता सहित पूर्ण सूचना संकलित की जानी आवश्यक है।
4. विभागीय नोडल अधिकारी उक्त पोर्टल पर प्रतिमाह Data upload कराने हेतु प्रमाणित सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करायेंगे। इसकी विस्तृत जानकारी **www.dbt bharat.gov.in** की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसी क्रम में माह जुलाई 2017 के सापेक्ष जानकारी 04 अगस्त 2017 तक अपलोड की जानी है। माह जून 2017 तक की शत प्रतिशत प्रमाणिक सूचना निर्धारित प्रारूप पर श्री मनमोहन मैनाली को यथाशीघ्र प्रेषित करें।

2– इस सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा एक समीक्षा बैठक दिनांक 27.07.2017 को सायं 5:00 बजे मुख्य सचिव सभागार (भूतल) मे की जायेगी। अतः विभागीय डी0बी0टी0 हेतु नोडल अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक को उक्त बैठक में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या– 695 /XXVII(1)/2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, वित्त को सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. श्रीमती जसपाल कौर प्रदयोत, उप महालेखा नियंत्रक, (एस0पी0एम0यू0), उत्तराखण्ड।
4. श्री श्रीधर बाबू अद्दांकी, अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री एल0एन0पन्त, अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री अरूणेन्द्र सिंह चाहान, अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
7. जिलाधिकारी हरिद्वार एवं टिहरी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार राज्य स्तरीय विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति के दृष्टिगत जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों सहित वी0सी0 में प्रतिभाग करें ताकि जनपद में PFMS की प्रगति सुनिश्चित करने हेतु विभागीय अधिकारियों का सहयोग लिया जा सके।
8. निदेशक एन0आई0सी0 को इस आशय से प्रेषित कि दिनांक 27.07.2017 को सांय 5:00 बजे उक्त वी0सी0 की व्यवस्था करें।
9. श्री मनमोहन मैनाली, वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
अपर सचिव

Uttarakhand, Consolidated Progress Report (FY 2017-18)

SNo.	Scheme Name	Scheme Code	Category	Type	Scheme on PFMS (Yes/No)	Name of the implementing Ministry/Department	Total No. of Beneficiaries	Aadhaar Seeded Beneficiaries	% of Aadhaar Seeding	Total Fund Transfer(in Rs.)	Fund Transfer through APB	% of funds disbursed through APB(Adhar Payment bridge)	Total No. of Transactions	No. of APB Transactions	Last Updated

उत्तराखण्ड शासन
वित्त विभाग अनुभाग–1
पत्रांकः 1024/xxvii(1)/2016
दिनांक : 06 सितम्बर, 2016

कार्यालय–ज्ञापं

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या सी–13015(460)MFCGA/PFMS/2016–17/1136–1165 दिनांक 24 जून, 2016 द्वारा केन्द्र सेक्टर तथा राज्य सेक्टर को विभिन्न स्कीमों में दिये जाने वाले अनुदानों/निधियों को तत्क्षण समय पर जारी करने, सीधे लाभार्थियों को त्वरित भुगतान करने एवं इस पूरी प्रकिया को पारदर्शी करने के साथ ही केन्द्रीकृत पर्यवेक्षण के लिए राज्य में Public Fund Management System (PFMS) को लागू करने के निर्देश दिये गये हैं।

भारत सरकार के उक्त निर्देशों के अनुक्रम में उत्तराखण्ड राज्य के ऐसे समस्त विभाग जिन्हें भारत सरकार से विभिन्न स्कीमों में निधि/अनुदान प्राप्त होता है, उन विभागों में भारत सरकार से निधि/अनुदान प्राप्त करने के लिए Public Fund Management System (PFMS) को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के परिपेक्ष्य में निम्नलिखित प्रकिया पूर्ण की जा चुकी हैं :–

1. वित्त विभाग के स्तर से उक्त कार्ययोजना के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एडवाईजरी ग्रुप का गठन कार्यालय ज्ञाप संख्या 997/29(150)/xxvii (1)/2016, दिनांक 01 सितम्बर, 2016 द्वारा किया जा चुका है।
2. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 997/29(150)/xxvii (1)/2016, दिनांक 01 सितम्बर, 2016 द्वारा स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (SPMU) तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 996/29(150)/xxvii (1)/2016, दिनांक 01 सितम्बर, 2016 द्वारा डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (DPMU) का गठन कर लिया गया है।
3. PFMS पोर्टल का कोषागार पोर्टल से FTP के माध्यम से इन्टीग्रेशन किया जा चुका है, जिससे दोनों पोर्टलों के मध्य डाटा का आदान–प्रदान, सिस्टम पर स्वतः एवं वास्तविक समय (Real Time) पर होगा।
4. राज्य बजट निदेशालय के द्वारा केन्द्रीय सी0एस0एस0/ई0ए0पी0 योजनाओं की राज्य सरकार की योजनाओं से मैपिंग की जा चुकी है।
5. PFMS के सम्बन्ध में सूचनाऐं वित्तीय डेटा सेंटर में स्थापित हेल्प डेस्क न0 8899890000 से प्राप्त की जा सकती हैं।

Public Fund Management System (PFMS) के लिए सम्बन्धित विभागों द्वारा निम्नवत् औपचारिकताओं को पूर्ण किया जाना आवश्यक है :–

1. समस्त विभाग अपने अधीनस्थ गठित ऐसे SPV एवं संस्थाओं, जिनके माध्यम से भारत सरकार से सीधे धनराशि हस्तान्तरित की जाती है, को PFMS पोर्टल में राज्य स्तरीय संस्था (State Implementing Agency) के रूप में पंजीकृत करायेंगे। पंजीकरण हेतु PFMS पोर्टल

(pfms.nic.in) के मुख्य पृष्ठ पर पंजीकरण का icon उपलब्ध है। उक्त पंजीकरण के पश्चात सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग के कार्यक्रम अनुभाग (प्रोजेक्ट डिवीजन) तथा मुख्य लेखा कार्यालय द्वारा उक्तानुसार पंजीकृत एजेन्सीज को अनुमोदित किया जायेगा। तदपश्चात एजेन्सी उपलब्ध कराये गये लॉगिन आईडी एव पासवर्ड का प्रयोग करेगी।

2. PFMS के लिए प्रथम स्तर के State Implementing Agency (SIA) बनने के बाद निधि/धनराशि को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से विभागाध्यक्ष, जिला स्तर, ब्लाक स्तर एवं पंचायत स्तर तक जिस स्तर तक आवंटन किया जाना है, उन सभी स्तरो को Child Level agency के रूप में PFMS में पंजीकृत करवाया जाना होगा। पंजीकरण के उपरान्त प्रत्येक स्तर का अपना पृथक–पृथक लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड होगा।
3. PFMS में पंजीकरण के लिए अपनायी जाने वाली प्रकिया PFMS की वेबसाईट pfms.nic.in पर तथा कोषागार पोर्टल ekosh.uk.gov.in से भी प्राप्त की जा सकती है।
4. प्रत्येक प्रशासनिक विभाग अपने विभाग के लिए उक्त कार्यों के मानिटरिंग,स्कीमों की मैंपिंग, आवश्यक सूचनाओं को उपलब्ध कराने एवं पत्राचार इत्यादि के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी, जो राज्य नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित करेगा, को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करेगा।
5. PFMS के कियान्वयन के लिए राज्य एन0आई0सी0 तकनीकी नोडल अधिकारी होगा, जिसका दायित्व होगा कि वह सम्बन्धित State Implementing Agency तथा निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी से समन्वय स्थापित करते हुए कोषागारों को Public Fund Management System से इन्टीग्रेशन, State Implementing Agency तथा Child Level agency के Public Fund Management System से पंजीकरण तथा Central Assistace Scheme to State Plan (CASP) से राज्य/केन्द की स्कीमों को मैंपिंग कराने में सहयोग करेंगे तथा किसी तकनीकी परामर्श की आवश्यकता पर तकनीकी परामर्श प्रदान करेगे।
6. PFMS के सफल संचालन, कियान्वयन,प्रशिक्षण एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य स्तर पर SPMU का गठन 23–लक्ष्मीरोड, देहरादून तथा DPMU का गठन जनपदीय कोषागारों में कर दिया गया है, जो विभिन्न हितधारकों के मध्य सामन्जस्य स्थापित कर समयबद्व रूप से योजना का कियान्वयन करायेंगे।
7. ऐसे विभाग जो लाभार्थियों को **"आधार"** के माध्यम से **"प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण"** योजना के अन्तर्गत धनराशि स्थानन्तरित करते हैं, वे PFMS पोर्टल के माध्यम से आधार बेस भुगतान भी कर सकते हैं। इसके लिए लाभर्थियों का विभागीय डाटाबेस से "आधार" नम्बर 'सीड' (Seeding) दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा।
8. ऐसे विभाग जो PFMS के माध्यम से लेन–देन नहीं करेंगे उन्हें भविष्य में भारत सरकार के स्तर से प्राप्त होने वाला अनुदान/निधि बन्द की जा सकती है।

उपरोक्त कार्ययोजना के प्रगति के संदर्भ में प्रत्येक 15 दिनों में कार्यों की समीक्षा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में की जायेगी।

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव।

(५१५)

पत्रांक व दिनांक उक्तानुसार । 1024/XXVIII(1)/2016 दि0 6/9/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. श्री अशोक लवासा, वित सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव वित्त।

(1)

495

51-28

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग – 1
संख्या : 997/29(150)/XXVII(1)/2016
देहरादून, दिनांक : 01 सितम्बर 2016

कार्यालय– ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या–13015(460)/MFCGA/PFMS/2016–17/1136–1165 दिनांक 24.06.2016 द्वारा की गई अपेक्षा के क्रम में **स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (SPMU)** के निम्नानुसार गठन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1.	सचिव, वित्त	अध्यक्ष
2.	श्री अरूणेन्द्र सिंह चौहान, अपर सचिव, वित्त	समन्वयक
3.	उप महालेखा नियंत्रक(PFMS), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
4.	बजट अधिकारी	सदस्य सचिव
5.	निदेशक/SIO, NIC	सदस्य
6.	निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें	सदस्य
7.	निदेशक, आई0टी0डी0ए0	सदस्य
8.	सदस्य, स्टेट डाटा सेन्टर	सदस्य
9.	आवश्यकतानुसार अध्यक्ष द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य
10.	बैंकिंग सलाहकार, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या 997 /XXVII(1)/2016 एवं तद्दिनांक 01/9/16

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. उप महालेखा नियंत्रक(PFMS), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
4. श्री अरूणेन्द्र सिंह चौहान, अपर सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड ।
6. बैंकिंग सलाहकार, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक/SIO, NIC उत्तराखण्ड ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

(E)-Finance-01-EO Letter.doc

(496) 31-29

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग – 1
संख्या :996/29(150)/XXVII(1)/2016
देहरादून, दिनांक : 01 सितम्बर 2016

कार्यालय– ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या–13015(460)/MFCGA/PFMS/2016–17/1136–1165 दिनांक 24.06.2016 द्वारा की गई अपेक्षा तथा स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट्स (SPMU) एवं डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (DPMU) को आवश्यक परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान किये जाने हेतु राज्य सलाहकार समूह के गठन से सम्बन्धित वित्त अनु0–01 के कार्यालय ज्ञाप सं0–941/XXVII(1)/2016 दिनांक 16.08.2016 को निरस्त करते हुए **राज्य सलाहकार समूह** के निम्नानुसार गठन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड	–	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त	–	सदस्य
3.	सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	–	सदस्य
4.	सचिव, ग्राम्य विकास	–	सदस्य
5.	सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी	–	सदस्य
6.	सचिव, नियोजन	–	सदस्य
7.	सचिव, समाज कल्याण	–	सदस्य
8.	सचिव, सहकारिता	–	सदस्य
9.	सचिव, पंचायती राज	–	सदस्य
10.	उप महालेखा नियंत्रक(PFMS), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।	–	सदस्य
11.	निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें	–	सदस्य
12.	निदेशक, एन0आई0सी0	–	सदस्य
13.	महाप्रबन्धक, आर0बी0आई0	–	सदस्य
14.	नोडल अधिकारी, UIDAI	–	सदस्य
15.	सचिव, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	–	सदस्य
16.	बैंकिंग सलाहकार	–	सदस्य
17.	अपर सचिव, वित्त	–	सदस्य सचिव

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

497

संख्या 196 /XXVII(1)/2016 एवं तद्‌दिनांक 01/9/16

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. उप महालेखा नियंत्रक(PFMS), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
4. श्री अरूणेन्द्र सिंह चौहान, अपर सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड ।
6. महाप्रबन्धक, आर0बी0आई0, उत्तराखण्ड।
7. नोडल अधिकारी, UIDAI, उत्तराखण्ड ।
8. सचिव, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड।
9. बैंकिंग सलाहकार, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

(E)-Finance-01-EO Letter.doc2

(91)

498 51-27

संख्या–987/ XXVII(1)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड ।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक: 30 अगस्त, 2016

विषयः– PFMS हेतु डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (DPMU) की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनु0–01 के पत्र सं0–942/XXVII(1)/2016 दिनांक 16.08.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कोषागार के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट सेन्टर (DPMC) की स्थापना करते हुए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (DPMU) का गठन तत्काल निम्नानुसार किया जाता है :–

1.	सम्बन्धित जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3.	जिला कोषागार अधिकारी	सदस्य सचिव
4.	समन्वयक डी0एल0बी0सी0	सदस्य
5.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
6.	जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी	सदस्य
7.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक तथा बेसिक)	सदस्य
8.	जिला विकास अधिकारी	सदस्य
9.	जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
10.	जिलाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार नामित अन्य कोई अधिकारी	सदस्य

2– उक्तानुसार गठित डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (DPMU) हेतु सभी आवश्यक सुविधाएं यथा कम्प्यूटर, नेटवर्किंग, मैनपॉवर आदि सदस्य सचिव द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

499

संख्या 987 /XXVII(1)/2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. उप महालेखा नियंत्रक (PFMS), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
4. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल ।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड ।
6. गार्ड फाइल।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

SL — 2

509

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग – 1
संख्या : 929 /29(150)/XXVII(1)/2016
देहरादून, दिनांक : 12 अगस्त, 2016

कार्यालय– ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं में लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डी0बी0टी0) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा इस सम्बन्ध में भारत सरकार व विभिन्न राज्यों से सम्पर्क स्थापित करने हेतु श्री अरूणेन्द्र सिंह चौहान, अपर सचिव, वित्त को डी0बी0टी0 समन्वयक नामित करते हुए डी0बी0टी0 सेल को आवश्यक परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान किये जाने हेतु **डी0बी0टी0 सलाहकार बोर्ड** एवं **डी0बी0टी0 सेल** के निम्नानुसार गठन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

डी0बी0टी0 सलाहकार बोर्ड का गठन

1.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड	–	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त	–	सदस्य
3.	सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	–	सदस्य
4.	सचिव, ग्राम्य विकास	–	सदस्य
5.	सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी	–	सदस्य
6.	सचिव, नियोजन	–	सदस्य
7.	सचिव, समाज कल्याण	–	सदस्य
8.	सचिव, सहकारिता	–	सदस्य
9.	निदेशक, एन0आई0सी0	–	सदस्य
10.	महाप्रबन्धक, आर0बी0आई0	–	सदस्य
11.	नोडल अधिकारी, UIDAI, उत्तराखण्ड	–	सदस्य
12.	नोडल अधिकारी, NPCI, उत्तराखण्ड	–	सदस्य
13.	दूर संचार प्रदाता (BSNL/AIRTEL)	–	सदस्य
14.	सचिव, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	–	सदस्य
15.	SBI/PNB के उत्तराखण्ड में नियंत्रक	–	सदस्य
16.	सहकारी बैंक उत्तराखण्ड के चेयरमैन	–	सदस्य
17.	RRB उत्तराखण्ड के चेयरमैन	–	सदस्य
18.	अपर सचिव, वित्त	–	सदस्य सचिव

501

डी0बी0टी0 सेल का गठन

1.	प्रमुख सचिव/ सचिव, वित्त	–	अध्यक्ष
2.	निदेश, आई0टी0डी0ए0	–	सदस्य
3.	अपर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी	–	सदस्य
4.	अपर सचिव, वित्त	–	सदस्य
5.	अपर सचिव, नियोजन	–	सदस्य
6.	अपर सचिव, ग्राम्य विकास	–	सदस्य
7.	अपर सचिव, समाज कल्याण	–	सदस्य
8.	अपर सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	–	सदस्य
9.	अध्यक्ष द्वारा नामित कोई व्यक्ति	–	सदस्य

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या 929 /XXVII(1)/2016 एवं तद्दिनांक 1/2/8/16

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री अरूणेन्द्र सिंह चौहान, अपर सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, आई0टी0डी0ए0, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड ।
7. महाप्रबन्धक, आर0बी0आई0, उत्तराखण्ड।
8. नोडल अधिकारी, UIDAI, उत्तराखण्ड ।
9. नोडल अधिकारी, NPCI, उत्तराखण्ड।
10. सचिव, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड।
11. SBI/PNB के उत्तराखण्ड में नियंत्रक।
12. सहकारी बैंक उत्तराखण्ड के चेयरमैन।
13. RRB उत्तराखण्ड के चेयरमैन।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव